न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना आर. ए. एस.

प्रार्थना पत्र
/15/19

तारीख रजू
25.06.2019

तारीख निर्णय
24.10.2019

उनवान

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र लटकनसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम टीकरी तहसील रामगढ जिला अलवर।

..........................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ ।

.......................अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम टीकरी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। पूर्व में प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाईश अप्रार्थी के आदेश से कराई जिस पर पटवारी हल्का सुन्हेडा ने उपरोक्त आराजी की पैमाईश मुन्तकिल बिन्दु मानते हुए कर दी जिस मौका पर्चा दिनांक 06.06.18 की प्रति संलग्न है। अब प्रार्थी नियमानुसार उपरोक्त आराजी की पैमाईश व पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिस बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 के यहां दिनांक 24.05.19 को पत्थरगढी व पैमाईश कराने हेतु आवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने पत्थरगढी व पैमाईश करने से इन्कार कर दिया और कहा कि ऊपर से आदेश लेकर आओ। इस कारण अब यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उक्त आराजी की प्रार्थी नियमानुसार टीम गठित करवाकर पैमाईश व पत्थरगढी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी 195 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम टीकरी तहसील रामगढ़ जिला अलवर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

की नियामानुसार पत्थरगढी व पैमाईश टीम गठित करवाकर कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 195 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम टीकरी तहसील रामगढ के पडौसी खातेदारान को पार्टी नही बनाया जो अति आवश्यक है।

पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 08.06.2018 इस प्रकार है कि ग्राम टीकरी के आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 0.44 हैक्ट0 का सीमाज्ञान करने मौके पर पहुचा। मौके पर प्रार्थीगण की उपस्थिति में खसरा नम्बर 440 के दक्षिण पूर्व में स्थित चौमेडा व खसरा नम्बर 459 गै0 मु0 चाह दर्ज रिकार्ड है को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए जरीब चलाकर खसरा नम्बर 195 का सीमाज्ञान प्रार्थी व ग्रामवासियान की उपस्थिति में कराकर मौका पर्चा तैयार किया गया। एवं मौके पर उपस्थितों के हस्ताक्षर व अंगूठे करवाये गये।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 , मौका पर्चा दिनांक 08.06.2018 की प्रमाणित, नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 , मौका पर्चा दिनांक 08.06.2018 की प्रमाणित के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के ख0 नं0 195 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम टीकरी का सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2018 को कराया जा चुका है। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के आराजी हाल ख0 नं0 195 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम टीकरी की

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

पत्थरगढी पडौसी काश्तकारों को नोटिस देकर एवं राजस्व अधिकारी व पटवारीगणों की गठित टीम के साथ मौके पर पत्थरगढी कराना 15 दिवस में सुनिश्चित करे। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेनू मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)